राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य/2015/ भोपाल, दिनांक /08/2015

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषयः–जिला चिकित्सालय एस.एन.सी.यू. के सुचारू संचालन के लिये सपोर्ट स्टॉफ हेतु दिशा–निर्देश।

–00–

प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में एस.एन.सी.यू. संचालित है। एस.एन.सी.यू. के सुचारू संचालन हेतु मानव संसाधन के अंतर्गत प्रत्येक एस.एन.सी.यू. हेतु 4 शिशुरोग विशेषज्ञ/पी.जी.एम.ओ., 15 स्टॉफ नर्स, 1 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, 1 लेब टेक्निशियन एवं सपोर्ट स्टॉफ (3 वार्ड बॉय, 3 आया, 3 गार्ड एवं 2 पार्ट टाईम स्वीपर) का प्रावधान है।

उक्त पदों में से शिशुरोग विशेषज्ञों की पूर्ति संविदा/नियमित/बंधपत्र के अनुक्रम में पदस्थ चिकित्सक राज्य स्तर द्वारा की जा रही हैं, शेष पदों की पूर्ति जिला स्तर पर की जाना है। वर्ष 2015–16 की जिला कार्ययोजना में समस्त जिला चिकित्सालयों के एस.एन.सी.यू. के लिये सपोर्ट स्टॉफ हेतु राशि गतिविधि क्रमांक A.8.1.11.f के अंतर्गत प्रावधानित है। इन समस्त पदों का अनुबंध जिला स्वास्थ्य समिति के साथ एक वर्ष के लिये निष्पादित किया जाये एवं कलेक्टर दर के अनुसार भुगतान किया जाये।

एस.एन.सी.यू. हेतु सपोर्ट स्टॉफ (3 वार्ड बॉय, 3 आया, 3 गार्ड) के पदों की पूर्ति हेतु अर्हता –

- वार्ड बॉय/आया
    - न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं किसी चिकित्सीय संस्था में 2 वर्ष के कार्य का अनुभव
    - आयु सीमा– न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 45 वर्ष
- सिक्योरिटी गार्ड
    - न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं सिक्योरिटी गार्ड का अनुभव
    - आयु सीमा– न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 45 वर्ष

चयन प्रक्रिया–

- रोज़गार कार्यालय द्वारा प्रदायित मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाये।
- चयन समिति–
    - अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
    - अन्य सदस्य, सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय का आर.एम.ओ., अस्पताल प्रबंधक, एवं एक एस.टी./एस.सी. का प्रतिनिधि

उपरोक्तानुसार चयन प्रक्रिया का पालन करते हुये एस.एन.सी.यू. के संचालन हेतु पदों की पूर्ति शीघ्र–अतिशीघ्र सुनिश्चित करें।

(डॉ. बी.एन. चौहान)
संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

पृ.क्र/एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य/2015/891 भोपाल, दिनांक 4/08/2015

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्थानीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
2. संचालक, वित्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्थानीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
5. राज्य लेखा प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्थानीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।
7. संभागीय शिशु स्वास्थ्य एवं एफ.बी.एन.सी. समन्वयक, संभाग—भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
10. समस्त एस.एन.सी.यू. चिकित्सक, मध्यप्रदेश।

संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश